विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-21/18

श्री योगेन्द्र सिंह, — **आवेदक**
पुत्र श्री कोक सिंह,
ग्राम व पोस्ट थरेठ,
जिला – दतिया (म0प्र0)

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
दतिया, जिला – दतिया (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 18.11.2019 को पारित)

01. श्री योगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री कोक सिंह, ग्राम व पोस्ट थरेठ, जिला – दतिया (म0प्र0) ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के प्रकरण क्रमांक जी.टी. 37/2018 श्री योगेन्द्र सिंह विरूद्ध उप महाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दतिया, जिला – दतिया (म.प्र.) में पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 17.10.2018 सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के आदेश दिनांक 23.07.2018 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो कि विद्युत लोकपाल कार्यालय में एल00–21/18 पर दर्ज किया गया ।

03. आवेदक श्री योगेन्द्र सिंह ने अपने लिखित अभ्यावेदन से अपने एच.पी. सिंचाई पंप (विद्युत सर्विस क्रमांक 394460–99–60–13136) थरेट विद्युत केन्द्र जिला दतिया पर विद्युत सप्लाई जारी करवाए जाने पर फोरम से वांछित राहत प्राप्त न होने पर विद्युत लोकपाल के समक्ष लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जो विद्युत लोकपाल कार्यालय में दिनांक 17.10.2018 को प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–21/2018 पर दर्ज किया गया ।

आवेदक द्वारा लिखित अभ्यावेदन में प्रकरण का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है :–

आवेदक प्रार्थी का 5 एच.पी. कृषि सिंचाई पंप का विद्युत कनैक्शन क्र0 394460–99–60–13136 पर विद्युत सप्लाई माह अप्रैल 2018 से पूर्णतः बंद हैं, जिसके बहाली हेतु कनिष्ठ यंत्री थरेट को प्रार्थी ने दिनांक 08.05.2018 को पत्र लिख उनकी ओर से विद्युत बहाली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की तो प्रार्थी ने दिनांक 08.06.2018 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल कैम्प ग्वालियर में प्रकरण दर्ज करवाया । माननीय फोरम ने प्रकरण क्रमांक जी.टी. 37/2018 दिनांक 12.06.2018 बाबत् अपना निर्णय दिनांक 23.07.2018 को अनावेदक उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) दतिया को 15 दिवस के भीतर विद्युत आपूर्ति (थ्री–फेज) प्रदाय करने के लिए आदेश प्रदान किया उसके उपरांत बार–बार दूरभाष पर एवं मौखिक निवेदन करने के उपरांत भी एवं फोरम के आदेश की भी अवहेलना करते हुए मेरी विद्युत सप्लाई जारी नहीं की गई जिससे सिंचाई पंप न चलने से सिंचाई न होने से खरीफ की फसल प्रार्थी नहीं कर सका जिससे उसको लगभग 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) की आर्थिक क्षति हुई । विद्युत बहाली बाबत् दिनांक 23.09.2018 को प्रार्थी ने पुनः निवेदन पत्र लिखा किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई । दिनांक 12.10.2018 को फोरम के ग्वालियर आने पर वहां भी लिखित आवेदन देकर, कनिष्ठ यंत्री थरेट, उप महाप्रबंधक दतिया को उसकी प्रतिलिपी दी किन्तु आज दिनांक तक विद्युत सप्लाई जारी नहीं की गई । अतः उक्त शिकायत के निराकरण न किए जाने से व्यथित होकर प्रार्थना है कि मेरी विद्युत आपूर्ति (थ्री–फेज) तत्काल जारी किए जाने के लिए अंतरिम आदेश प्रदाय करने की कृपा करें एवं संलग्न अभ्यावेदन स्वीकार कर कार्यवाही किए जाने की कृपा करें ।

आवेदक ने अपनी अपील में निम्नानुसार राहत की मांग की है :–

15 दिवस के अंदर आवेदक की 5 एच.पी. कृषि सिंचाई पंप का थ्री फेज विद्युत कनेक्शन चालू कर, पालन प्रतिवेदन की प्रति फोरम को प्रेषित करें । फोरम के आदेश का अनावेदक द्वारा पालन न करने से विद्युत आपूर्ति बहाल न किए जाने से पंप द्वारा कृषि सिंचाई न होने से खरीफ की फसल धान इत्यादि नहीं कर पाने के कारण 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) की आर्थिक हानि उपभोक्ता को हुई है । फोरम के आदेश की अवहेलना की अनावेदक के विरूद्ध कार्यवाही चाहते हैं ।

04. प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 30.10.2018 को नियत की गई। तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 21.05.2019 आयोजित की गई ।

05. उक्त सुनवाई में आवेदक स्वयं उपस्थित हुए, अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । आवेदक ने कथन कर बताया कि उनका पम्प कनेक्शन अक्टूबर 18 में चालू कर दिया गया है, किन्तु निम्न दाब लाईन के 3 तार के अलावा न्यूट्रल कंडक्टर का तार अभी तक नहीं चालू किया गया है, इस कार्य के लिए अक्टूबर 18 में संबंधित कनिष्ठ यंत्री आए थे जिनको न्यूट्रल कंडक्टर का तार चलाने के लिए कहने पर उनके द्वारा बताया गया कि न्यूट्रल का तार नहीं डाला जाता है, इसलिए नहीं लगाया जा रहा है ।

आवेदक का कहना है कि न्यूट्रल तार न होने से उनकी थ्री–फेज की मोटर नहीं चल पा रही है । आवेदक ने बताया कि उनके पम्प की सप्लाई अप्रैल 2018 से पूरी तरह से बंद थी, जिससे वे अक्टूबर 2018 तक पम्प बिल्कुल नहीं चला पाएं ।

अनावेदक के उपस्थित न होने से प्रकरण की समीक्षा नहीं की जा सकी और सुनवाई की अगली तारीख 01.06.2019 नियत की गई ।

06. दिनांक 29.06.2019 की सुनवाई में आवेदक स्वयं उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री अमित कुमार आशीष, जूनियर इंजीनियर थरेट, दतिया उपस्थित हुए । आवेदक ने कथन किया कि माननीय विद्युत उपभोक्ताओं फोरम भोपाल के समक्ष दिनांक 12.07.2018 को सहमति दिए जाने के बाद भी अनावेदक द्वारा निम्न दाब लाईन का आवश्यक कार्य नहीं किया गया, जिससे उनके पंप की विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी । उनके द्वारा प्रबंध संचालक, म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को इसकी शिकायत किए जाने के उपरांत विगत् वर्ष अक्टूबर माह में अनावेदक द्वारा उनके पंप कनेक्शन पर विद्युत प्रदाय निम्न दाब की लाईन में नए तार डालकर दिया गया किन्तु इसमें भी निम्न दाब लाईन में न्यूट्रल कंडक्टर नहीं खींचा गया, जिससे वे आज तक अपनी थ्री–फेज मोटर चलाने में असमर्थ हैं ।

07. अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री अमित कुमार आशीष, जूनियर इंजीनियर ने अपने कथन में कहा कि निम्न दाब लाईन में सुधार करते समय आवेदक ने न्यूट्रल कंडक्टर डालने की आवश्यकता नहीं बताई गई थी इसलिए न्यूट्रल तार नहीं डाला गया था । यह पूछे जाने पर की थ्रीफेज निम्न दाब लाईन निर्माण का मानक क्या है, उनके द्वारा कथन किया गया कि थ्री–फेज कंडक्टर और एक फेज न्यूट्रल कंडक्टर डाला जाता है । उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि न्यूट्रल कंडक्टर के न होने से थ्री–फेज की मोटर नहीं चलाई जा सकती । उन्होंने कथन किया कि न्यूट्रल कंडक्टर जो कि लगभग 8 स्पान में डाला जाना है, आगामी 2–3 दिन में पूर्ण कर लिया जावेगा ।

08. प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 17.07.2019 को आयोजित की गई, जिसमें आवेदक स्वयं उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री अमित कुमार आशीष, जूनियर इंजीनियर थरेट, दतिया उपस्थित हुए ।

09. अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि 12 स्पान में न्यूट्रल तार डालना था, जिसमें से वितरण ट्रांसफार्मर की ओर से 7 पोल में तार 10 जुलाई 19 तक डाले जा चुके हैं ।

बाकि पोल में तार लगाने में आवेदक के पुत्र ने जो कार्य के समय उपस्थित थे आपत्ति ली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पोल के स्पान लंबे होने से बीच–बीच में मिड स्थान पोल खड़े करने के बाद ही तार डाला जाय ।

अनावेदक ने अपने कथन में कहा कि यद्यपि आवेदक द्वारा इंगित स्पान ज्यादा लंबे नहीं है और वर्तमान में फेज के 3 तार डले हुए हैं तथापि आवेदक की आपत्ति को देखते हुए तीन स्पान में दूरी कुछ अधिक होने की वजह से बीच में खंभा लगाये जा सकते हैं । उनके कथनानुसार यह कार्य भी आगामी एक सप्ताह में पूर्ण करके न्यूट्रल तार खींचकर थ्री–फेज सप्लाय आवेदक को उपलब्ध करवा दी जाएगी ।

10. अनावेदक को कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर अगली सुनवाई में कार्य पूर्णता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 26.07.2019 नियत की गई । उभयपक्ष उपस्थित हुए उनके द्वारा कथन किया गया । अनावेदक प्रतिनिधि ने कथन किया है कि पोल की अनुलब्धता के कारण पोल की व्यवस्था करने में समय लगा। अब कार्यस्थल के पास तक आवश्यक तीन पोल पहुंचाए जा चुके हैं, किन्तु अत्यधिक बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ हो जाने से पोल को कार्य स्थल तक पहुंचाना संभव

नहीं हो पा रहा है, जिससे कार्य पूर्ण नहीं हो पाया । स्थिति ठीक होते ही कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा । अनावेदक के कथनानुसार सभी स्थानों में न्युट्रल तार लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका आवेदक प्रतिनिधि ने समर्थन किया, किन्तु साथ ही कथन किया कि मिड स्पान पोल नहीं लगाने से खंभें के बीच में तार खतरनाक स्थिति में झूल रहे हैं। आवेदक प्रतिनिधि का कथन है कि स्थल पर कीचड़ की स्थिति ज्यादा नहीं है और अधिकतम दो दिनों में स्थल पर पोल पहुंचाने लायक स्थिति बन जाएगी तथा स्थल तक पोल पहुंचाने में आवश्यक मदद के लिए वे तैयार हैं । निर्देशित है कि अनावेदक विशेष प्रयास कर एवं आवश्यकता होने पर आवेदक की मदद से तत्काल पोल कार्य स्थल तक पहुंचाकर अगले 4 दिनों में कार्य पूर्ण करें तथा अगली सुनवाई को आवश्यक रूप से कार्यपूर्णता प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

11. दिनांक 06.08.2019, 27.08.2019 एवं 27.09.2019 को आयोजित सुनवाई को उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए ।

12. दिनांक 23.10.2019 की सुनवाई में आवेदक स्वयं उपस्थित हुए । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । आवेदक ने कथन किया कि प्रस्तावित कार्य में न्यूट्रल तार लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, किन्तु मिडस्पान पोल आज तक नहीं लगाया गया है । उन्होंने आगे कथन किया कि इस संबंध में उनने अनावेदक कनिष्ठ यंत्री से सम्पर्क किया जिस पर कनिष्ठ यंत्री द्वारा इस कार्य को शीघ्र किए जाने हेतु आश्वस्त किया गया । आवेदक ने कथन कर कनिष्ठ यंत्री द्वारा उन्हें दिए गए आश्वासन पर संतोष व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण समाप्त कर उनकी अपील पर यथोचित आदेश जारी किया जाए ।

13. आवेदक/अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/जानकारी तथा उनके द्वारा प्रकरण में किए गए कथनों से स्पष्ट है कि आवेदक के 5 एच.पी. पंप कनेक्शन पर विद्युत सप्लाई जारी किए जाने संबंधी शिकायत का निराकरण अनावेदक द्वारा कर दिया गया है तथा आवेदक को अब थ्री–फेज सप्लाई मिलना प्रारंभ हो चुका है, जिससे उन्हें अपना पंप चलाने में अब कोई समस्या नहीं है ।

अनावेदक द्वारा थ्री–फेज सप्लाई उपलब्ध कराने के संबंध में किए गए कार्य में कुछ स्थानों पर मिडस्पॉन पोल सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाना आवश्यक है । अनावेदक द्वारा इस संबंध में कार्य करने हेतु अपनी सहमति दी है तथा अनावेदक कनिष्ठ यंत्री द्वारा

आवेदक को स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु आश्वस्त किया है । चूंकि यह कार्य सीधे तौर पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित है अतः अनावेदक को यह कार्य दिए गए आश्वासन अनुसार अविलंब पूर्ण कर आदेश की तिथि से 15 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन विद्युत लोकपाल कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।

14. आवेदक ने अपनी अपील में विद्युत आपूर्ति बहाल न किए जाने से पंप द्वारा कृषि सिंचाई न होने से खरीफ की फसल धान इत्यादि न कर पाने के कारण रू0 1,50,000 रू0 की क्षतिपूर्ति दिलवाई जाने संबंधी राहत की तथा फोरम के आदेश की अवहेलना पर अनावेदक के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है । चूंकि माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' के अनुसार दर्ज प्रकरणों में किसी प्रकार की शास्ती तथा क्षतिपूर्ति के मामले विद्युत लोकपाल के क्षैत्राधिकार में नहीं है, अतः आवेदक की अपील के इन बिन्दुओं पर कोई निर्णय विद्युत लोकपाल द्वारा नहीं लिया जाना है । इस संबंध में आवेदक विधि अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए स्वतंत्र है ।

15. प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है । उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल